कार्यालय–निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5 / 1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001
फोन / फैक्स : 0135–2621669 ई–मेल : director.rajaji@gmail.com

पत्रांक 740 / 12-1 देहरादून, दिनांक 21, सितम्बर, 2022

सेवा में

रजिस्ट्रार,
मा0 एन0जी0टी0, प्रधान शाखा,
नई दिल्ली।

विषयः– **मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–361 / 2022 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड,"गौरा देवी पर्यावरण भवन"46बी, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून की पत्र सं0–यूकेपीसीबी /एच.ओ. / सा0–183–582 / 2022 / 987, दिनांक 15.09.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–361 / 2022 All India Young Lawyers Association Vs. State of Uttarakhand & Ors. में दिनांक 08.07.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त कमेटी में नामित सदस्यों एवं निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के प्रतिनिधि नामित वन्यजीव प्रतिपालक (चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व के द्वारा दिनांक 03.08.2022 एवं 25.08.2022 प्रकरण में संयुक्त कमेटी की स्थलीय संयुक्त जॉच /निरीक्षण रिर्पोट सम्बन्धी कार्यवृत्त की कार्यवाही (Factual & Action Taken Report) मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु अद्योहस्ताक्षरी को निर्देश प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में संयुक्त कमेटी की स्थलीय संयुक्त जॉच /निरीक्षण रिर्पोट सम्बन्धी कार्यवृत्त की कार्यवाही (Factual & Action Taken Report) की स्कैन प्रति मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु ई–मेल (judicial-ngt@gov.in) के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 साकेत बडोला)
निदेशक / वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून,
उत्तराखण्ड़।

पत्रांक 740/12-1 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्न को उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव,उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड,"गौरा देवी पर्यावरण भवन"46बी, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक(प्रशासन), वन्यजीव सुरक्षा एवं आसूचना, उत्तराखण्ड को सादर प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार, पौड़ी(गढ़वाल)।
4. उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
5. श्री सुभाष चन्द्र पंवार, क्षेत्रीय अधिकारी,(प्र0) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की(हरिद्वार)।

(डा0 साकेत बडोला)
निदेशक / वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून,
उत्तराखण्ड़।

कार्यालय–निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5 / 1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001
फोन / फैक्स : 0135–2621669 ई–मेल : director.rajaji@gmail.com

पत्रांक 581 /29-1 देहरादून, दिनांक 08, सितम्बर, 2022

सेवा में

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड,
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून, 248001।

विषयः– **मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–361 / 2022 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– आपका पत्र यूकेपीसीबी /एच.ओ. /सा0 –183– 582 / 2022 / 631–1521, दिनांक 18.07.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–361 / 2022 All India Young Lawyers Association Vs. State of Uttarakhand & Ors. में दिनांक 08.07.2022 (**प्रति संलग्न**) को पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रकरण राजाजी नेशनल पार्क के चीला रेंज में अवैधानिक रूप से संचालित होटल, रिर्सोट, पब्स्, क्लब्स्, आश्रम एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रकरण पर एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त कमेटी में नामित सदस्यों एवं निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून द्वारा नामित वन्यजीव प्रतिपालक (चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व के द्वारा दिनांक 03.08.2022 एवं 25.08.2022 को उक्त प्रकरणों की स्थलीय संयुक्त जॉच कार्यवाही में निम्न अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री अभय सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार।
2. श्री अवधेश कुमार सिहं, नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
3. डा0 अजीत सिहं, प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, रूड़की।
4. श्री प्रशान्त हिन्दवान, वन्यजीव प्रतिपालक (चीला) राजाजी टाइगर रिजव प्रतिनिधि नोडल अधिकारी, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
5. श्री एस0के0डिमरी, ए0एस0ओ0, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड।
6. श्री अनिल कुमार पैन्यूली, वन क्षेत्राधिकारी, चीला रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व।
7. श्री मदनसिहं रावत, वन क्षेत्राधिकारी, गौहरी रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व।
8. रमेश बहुगुणा, राजस्व निरीक्षक, नामित प्रतिनिधि द्वारा जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त कमेटी के नामित सदस्यों एवं मौके पर उपस्थित क्षेत्रीय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा दिनांक 03.08.2022 एवं 25.08.2022 को सम्पन्न स्थलीय संयुक्त जॉच /निरीक्षण की कार्यवाही सम्बन्धी कार्यवृत्त की प्रति (मूल में) वन्यजीव प्रतिपालक (चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व ने अपनी पत्र सं0–107 / 29 दिनांक 01.09.2022 के द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में संयुक्त कमेटी की स्थलीय संयुक्त जॉच /निरीक्षण रिर्पोट सम्बन्धी कार्यवृत्त की कार्यवाही (Factual & Action Taken Report) मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 साकेत बडोला)
निदेशक / वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून,
उत्तराखण्ड़।

पत्रांक 581/221 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्न को उक्त विषयक कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 एन0जी0टी0, प्रधान शाखा, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक(प्रशासन), वन्यजीव सुरक्षा एवं आसूचना, उत्तराखण्ड को सादर प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार, पौड़ी(गढ़वाल)।
4. उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
5. श्री सुभाष चन्द्र पंवार, क्षेत्रीय अधिकारी,(प्र0) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की(हरिद्वार)।
6. वन क्षेत्राधिकारी, चीला एवं गौहरी रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व।

(डा0 साकेत बडोला)
निदेशक/वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून,
उत्तराखण्ड।

कार्यवृत्त

दिनांक 03–08–2022 को वन विश्राम भवन चीला में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या–361/2022 All India Young Lawyers Association Vs. State of Uttarakhand & Ors. में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टीम द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्न अधिकारियों /कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री अभयसिहं, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार।
2. श्री अवधेश कुमार सिहं, नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
3. श्री प्रशान्त हिन्दवान, वन्यजीव प्रतिपालक(चीला)राजाजी टाइगर रिजर्व।
4. डा0 अजित सिहं, प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, रूड़की।
5. श्री रमेश बहुगुणा, राजस्व निरीक्षक, नामित प्रतिनिधि द्वारा जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6. श्री मदनसिहं रावत, वन क्षेत्राधिकारी, गौहरी रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व।
7. श्री अनिल कुमार पैन्यूली, वन क्षेत्राधिकारी, चीला रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व।

माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 में गठित समिति को राजाजी नेशनल पार्क के चीला रेंज में अवैधानिक रूप से संचालित होटल, रिर्सोट, पब्स्, क्लब्स्, आश्रम एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के कम में गठित समिति के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 03.08.2022 एवं 25.08.2022 को राजाजी नेशनल पार्क के चीला एवं गौहरी रेंज अन्तर्गत इंगित अवैधानिक रूप से संचालित होटल, रिर्सोट, पब्स्, क्लब्स्, आश्रम एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में वर्णित स्थलों की स्थलीय संयुक्त जॉच /निरीक्षण कर निम्न कार्यवाही की गयी :–

1. **<u>पनाम्भी रिजॉर्ट एण्ड स्पा</u>** – गौहरी रेंज के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। रिजॉर्ट स्वामी के प्रतिनिधि श्री हरीश द्वारा व्यवसायिक गतिविधि के संचालन हेतु अन्य विभागों से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गये, किन्तु वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। रिजॉर्ट स्वामी को व्यवसायिक गतिविधि के सुचारू संचालन हेतु वन विभाग से भी तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा संचालित उक्त व्यवसायिक गतिविधि वन कानून एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अवैध है। उक्त व्यवसायिक गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिंग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग ज़ोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

2. **<u>वन्दे मातरम् कुंज (दिव्य प्रेम सेवा मिशन)</u>** – गौहरी रेंज के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तहत् निराश्रित एवं अपंग बच्चों के आवासीय एवं अध्यापन हेतु स्कूल/आश्रम के संचालन की गतिविधि पायी गयी। गठित समिति के सदस्यों द्वारा उक्त संस्था के संचालक/व्यवस्थापक श्री गौतम जी को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया, किन्तु संचालक/व्यवस्थापक द्वारा दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संचालन की गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त संस्था के संचालक/व्यवस्थापक को उक्त गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ वर्णित स्थल की स्थलीय संयुक्त जॉच कर वन विभाग से तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु कहा गया है, तथा उक्त गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिंग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा संचालक/व्यवस्थापक को कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

3. **डाउन–टाउन रिजॉर्ट** – गौहरी रेंज के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा रिजॉर्ट स्वामी श्री अवशेष वशिष्ठ को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु रिजॉर्ट स्वामी द्वारा व्यवसायिक गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। रिजॉर्ट स्वामी को व्यवसायिक गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य आवश्यक विभागों के अतिरिक्त वन विभाग से भी तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा संचालित उक्त व्यवसायिक गतिविधि वन कानून एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अवैध है। उक्त व्यवसायिक गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।
4. **जी–विलेज रिजॉर्ट** – गौहरी रेंज के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा रिजॉर्ट स्वामी श्री अर्जुन सैनी को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु रिजॉर्ट स्वामी द्वारा व्यवसायिक गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। रिर्जाट स्वामी को व्यवसायिक गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य आवश्यक विभागों के अतिरिक्त वन विभाग से भी तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा संचालित उक्त व्यवसायिक गतिविधि वन कानून एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अवैध है। उक्त व्यवसायिक गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।
5. **लीफ सेड रिजॉर्ट** गौहरी रेंज के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु पाये गये। गठित समिति के सदस्यों द्वारा रिजॉर्ट स्वामी क्रमशः श्री हरी मधान, ऋषिकेश को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु रिजॉर्ट स्वामियों द्वारा व्यवसायिक गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। रिजॉर्ट स्वामी को व्यवसायिक गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ अपने–अपने रिजॉर्ट भूमि के स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य आवश्यक विभागों के अतिरिक्त वन विभाग से भी तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा संचालित उक्त व्यवसायिक गतिविधि वन कानून एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अवैध है। उक्त व्यवसायिक गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामियों को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।
6. **वनत्रा रिजॉर्ट** – गौहरी रेंज के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु पाये गये। गठित समिति के सदस्यों द्वारा रिजॉर्ट स्वामी श्री पुलकित आर्य को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु रिजॉर्ट स्वामी द्वारा व्यवसायिक गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। रिजॉर्ट स्वामी को व्यवसायिक गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ अपने–अपने रिजॉर्ट भूमि के स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य आवश्यक विभागों के अतिरिक्त वन विभाग से भी तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा संचालित उक्त व्यवसायिक गतिविधि वन कानून एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अवैध है।

उक्त व्यवसायिक गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामियों को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

7. **राजाजी रि–ट्रीट रिजॉर्ट** – गौहरी रेंज के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन निजी भूमि पर पाया गया। रिजॉर्ट में कोई पर्यटन गतिविधि नहीं की जा रहीं है। गठित समिति के सदस्यों द्वारा रिजॉर्ट स्वामी श्री सुरेश को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। रिजॉर्ट स्वामी द्वारा व्यवसायिक गतिविधि हेतु अन्य विभागों के साथ–साथ वन विभाग से प्राप्त निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गये। उक्त व्यवसायिक गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

8. **आर0एफ0सी0 रिजॉर्ट** – गौहरी रेंज के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा रिजॉर्ट स्वामी श्री निशान्त भटनागर को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु रिजॉर्ट स्वामी द्वारा व्यवसायिक गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। रिजॉर्ट स्वामी को व्यवसायिक गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य आवश्यक विभागों के अतिरिक्त वन विभाग से भी तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा संचालित उक्त व्यवसायिक गतिविधि वन कानून एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अवैध है। उक्त व्यवसायिक गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

9. **वाईल्ड ट्रैल रिजॉर्ट** – गौहरी रेंज के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा रिजॉर्ट स्वामी श्री शशी रणाकोटी को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। रिर्जाट स्वामी द्वारा व्यवसायिक गतिविधि हेतु अन्य विभागों के साथ–साथ वन विभाग से प्राप्त निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गये। उक्त व्यवसायिक गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

10. **जंगल लोर वॉईल्ड लाईफ रिजॉर्ट** – गौहरी रेंज के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर तल्ला में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा रिजॉर्ट स्वामी वैभव विश्नोई को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु रिजॉर्ट स्वामी द्वारा व्यवसायिक गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। रिजॉट स्वामी को व्यवसायिक गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य आवश्यक विभागों के अतिरिक्त वन विभाग से भी तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा संचालित उक्त व्यवसायिक गतिविधि वन कानून एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अवैध है। उक्त व्यवसायिक गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

11. **द नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट** – चीला रेंज के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर मल्ला में व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा रिजॉर्ट स्वामी / मैनेजर डा0 आर0के0 गुप्ता एवं श्री अंशल राणा को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु रिजॉर्ट स्वामी द्वारा व्यवसायिक गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। यह रिजॉर्ट मालिक की अकृषित /आवासीय भूमि पर बनाया गया है एवं पार्क क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। **अपितु रिजॉर्ट के द्वारा मौके पर कूड़ा उचित तरीके से निस्तारित होना नहीं पाया गया। इस क्रम में वन क्षेत्राधिकारी, चीला रेंज द्वारा अपने पत्र सं0 50/15 दिनांक 02 अगस्त, 2022 के द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को नोटिस जारी किया गया है। जिसके अनुपालन में वन क्षेत्राधिकारी, चीला रेंज द्वारा अपने पत्र सं0 102/15 दिनांक 31 अगस्त, 2022 से अवगत कराया गया कि रिजॉर्ट स्वामी द्वारा कूड़े को पार्क क्षेत्र से बाहर निस्तारित किया जा रहा है।**
12. **आर्य समाज मन्दिर योगाश्रमगंगा** – चीला रेंज के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर मल्ला (यमकेश्वर) में उक्त गतिविधि का संचालन नहीं पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा योगाश्रमगंगा स्वामी के प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु योगाश्रमगंगा स्वामी के प्रतिनिधि द्वारा उक्त गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त योगाश्रमगंगा में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। उक्त योगाश्रमगंगा के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा उक्त संस्था को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।
13. **ज्योर्तिलिगेश्वरा बागला मुखीधामगंगा** – चीला रेंज के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गंगाभोगपुर मल्ला (यमकेश्वर) में उक्त गतिविधियों के संचालन हेतु पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा योगाश्रमगंगा स्वामी को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु ज्योर्तिलिगेश्वरा बागला मुखीधामगंगा के स्वामी द्वारा उक्त गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। योगाश्रमगंगा स्वामी के प्रतिनिधि को उक्त गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य आवश्यक विभागों के अतिरिक्त वन विभाग से भी तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा संचालित उक्त गतिविधि वन कानून एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अवैध है। उक्त गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा उक्त संस्था को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

14. **वन तंरग, महादेव पानी रिजॉर्ट** – गौहरी रेंज के विदांसनी अनुभाग (यमकेश्वर) के अन्तर्गत व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा रिजॉर्ट स्वामी श्री गौतम जैन को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु रिजॉर्ट स्वामी द्वारा व्यवसायिक गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। रिजॉर्ट स्वामी को व्यवसायिक गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य आवश्यक विभागों के अतिरिक्त वन विभाग से भी तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा संचालित उक्त व्यवसायिक गतिविधि वन कानून एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अवैध है। उक्त व्यवसायिक गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

15. **आश्रम महादेव पानी (यमकेश्वर)** – गौहरी रेंज के विदांसनी अनुभाग के अन्तर्गत उक्त गतिविधि के संचालन हेतु पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा आश्रम स्वामी श्री हरिओम को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु आश्रम स्वामी द्वारा उक्त गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। आश्रम स्वामी को उक्त गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य आवश्यक विभागों के अतिरिक्त वन विभाग से भी तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा संचालित उक्त आश्रम गतिविधि वन कानून एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अवैध है। उक्त गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा आश्रम स्वामी को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

16. **फॉरेस्ट रिजॉर्ट संयार**– गौहरी रेंज के विदांसनी अनुभाग के अन्तर्गत व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा रिजॉर्ट स्वामी श्री नव प्रभात के प्रतिनिधि को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु रिजॉर्ट स्वामी के प्रतिनिधि द्वारा व्यवसायिक गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। रिजॉर्ट स्वामी के प्रतिनिधि को व्यवसायिक गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य आवश्यक विभागों के अतिरिक्त वन विभाग से भी तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा संचालित उक्त व्यवसायिक गतिविधि वन कानून एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अवैध है। उक्त व्यवसायिक गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

17. **आश्रम संयार** – गौहरी रेंज के विदांसनी अनुभाग के अन्तर्गत उक्त गतिविधि के संचालन हेतु पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा आश्रम स्वामी माई जी को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु आश्रम स्वामी द्वारा आश्रम गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। आश्रम स्वामी को उक्त गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य आवश्यक विभागों के अतिरिक्त वन विभाग से भी तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा संचालित उक्त आश्रम गतिविधि वन कानून एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अवैध है। उक्त गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा आश्रम स्वामी को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

18. **द नेचर रिजॉर्ट बुकन्डी(हीराखाल)**– गौहरी रेंज के विदांसनी अनुभाग के अन्तर्गत व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा रिजॉर्ट स्वामी श्री संजीव गुप्ता को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु रिजॉर्ट स्वामी द्वारा व्यवसायिक गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। रिजॉर्ट स्वामी को व्यवसायिक गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य आवश्यक विभागों के अतिरिक्त वन विभाग से भी तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा संचालित उक्त व्यवसायिक गतिविधि वन कानून एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अवैध है। उक्त व्यवसायिक गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा रिजॉर्ट स्वामी को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

19. **सुलीन जंगल लॉज, बुकन्डी(हीराखाल)**— गौहरी रेंज के विदांसनी अनुभाग के अन्तर्गत व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु पाया गया। गठित समिति के सदस्यों द्वारा लॉज स्वामी श्री दीपक मेहता को मौके पर तत्संबन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। किन्तु लॉज स्वामी द्वारा व्यवसायिक गतिविधि हेतु किसी भी विभाग से प्राप्त /निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। लॉज स्वामी को व्यवसायिक गतिविधि के संचालन हेतु राजस्व एवं वन विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण /जॉच उपरान्त अन्य आवश्यक विभागों के अतिरिक्त वन विभाग से भी तत्संबन्धी अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा संचालित उक्त व्यवसायिक गतिविधि वन कानून एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अवैध है। उक्त व्यवसायिक गतिविधि के संचालन में उत्सर्जित कचरे की डम्पिंग एवं उसके निस्तारण हेतु गठित जॉच टीम द्वारा लॉज स्वामी को समस्त कूड़े का निस्तारण नगर निगम/नगर पालिका के डम्पिंग जोन में कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त रिजॉर्ट, आश्रम एवं लॉज को प्रदूषण नियन्त्रण हेतु नोटिस प्रेषित की जानी की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय की पत्र संख्या—55/12—1, दिनांक 05.08.2022 के द्वारा भी सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारियों को वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, इसके अनुपालन में कार्यालय वनक्षेत्राधिकारी गोहरी रेंज के पत्र संख्या—156/26 दिनांक 30.08.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि

1. **पनाम्भी रिजॉर्ट** द्वारा कूड़ा—करकट का निस्तारण कर दिया गया हैं।
2. **जी0विलेज रिजॉर्ट** द्वारा रिर्जाट संचालन हेतु आवश्यक प्रमाण—पत्र रेंज कार्यालय में उपलब्ध कराये गये हैं—राजाजी टाइगर रिजर्व में प्रचार प्रसार हेतु होर्डिग हटा दिये गये हैं। परिसर में कूड़ा करकट का निस्तारण कर दिया गया है व फ्लड लाईट हटा दी गई है।
3. **लीफ सेड रिजॉर्ट** द्वारा परिसर में कूड़ा का निस्तारण कर दिया गया है। फ्लड लाईट हटा दी गई है।
4. **राजाजी रिट्रीट**—रिजॉर्ट स्वामी द्वारा नोटिस के अनुपालन में रिसेप्शन पर पर्यटकों को वन्यजीव सुरक्षा सम्बन्धी नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है।
5. **आर0एफ0सी0 रिजॉर्ट**—स्वामी द्वारा नोटिस के अनुपालन में रिसेप्शन पर पर्यटकों को दिशा—निर्देश हेतु नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है।
6. **वाइल्ड ट्रेल रिजॉर्ट**—रिजॉर्ट संचालन हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं।

(प्रशान्त हिन्दवान)
वन्यजीव प्रतिपालक(चीला)
राजाजी टाइगर रिजर्व,

पत्रांकः— 104/29 दिनांक 01.09.2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को उक्त विषयक कार्यवृत्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड़।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार एवं पौड़ी(गढ़वाल)।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून।
5. नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
6. प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, रूड़की।
7. वन क्षेत्राधिकारी, चीला एवं गौहरी रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व।
8. उक्त समस्त रिजॉर्ट, आश्रम एवं लॉज स्वामी, चीला एवं गौहरी रेंज अन्तर्गत।

कार्यालय नि0 रा0 ब0
पंजिका क्रमांक 2564
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 06/09/22
आ0 कोर्ट करें
सवेश आख्या देवें।

(प्रशान्त हिन्दवान)
वन्यजीव प्रतिपालक(चीला)
राजाजी टाइगर रिजर्व,

मा० एन०जी०टी० द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 03/08/2022 को चीला व गोहरी रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अन्तर्गत रिजॉर्ट, होटल, पब, आश्रम व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण

Sr. No.	Name	Designation	Department	Mobile No.	Signature
1	Abhay Singh	Secretary, DLSA	State Legal Services Authority	9412078358	[signature]
2	Awadhesh Kumar Singh	City Magistrate Haridwar	Revenue	8650872147	[signature]
3	Dr Ajeet Singh	AEO	9411178364 UKPCB	9411178364	[signature]
4	Prashant Hindwal	W.L.W Chila	Rajaji TR	976188967	[signature]
5	S.K. DIMRI	ASO	UKPCB	9837301912	[signature]
6	AK Painuly	RO	Chilla	7895924932	[signature]
7	M.S. Rawat	RO	GohariP	8218605379	[signature]
8	R.C. Behuguna	R.I (L)	Revenue	8868907005	[signature]
9	Vaibhav Pratap Singh	RSI	Revenue	9627601201	[signature]
10	Narendra Singh Negi	Rt. Surveyor	RTR	8057908325	[signature]
11	Ramesh Dutt	Dy RO	Gohari	9410711664	[signature]
12	Deendayal Kumar	Pr.	—v—	9958435970	[signature] 03/8/2022
13	Madan Singh	Forester	Chilla	9410550105	[signature]
14	Hari Singh	F.G.	Chilla	9917645228	[signature]

संयुक्त निरीक्षण

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 25.08.2022 को गोहरी रेंज राजाजी टाईगर रिजर्व, विदासनी बीट क्षेत्र के अंतर्गत रिजॉर्ट, होटल, पब, आश्रम व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

क0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1	Abhay Singh Secretary DLSA	Secretary DLSA	DLSA Haridwar	9412078358	[signature]
2	Awadhesh Kumar Singh	City Magistrate	Revenue	8650872147	AK Singh
3.	Dr. Ajeet Singh	A.S.O	UKPCB	9411178364	[signature]
4	Prashant Hinduwan	W.L.W Chief Sec	Rajaji TR	9761889677	[signature]
5.	Deependra Bhatt	M.A	UKPCB	8171494053	[signature]
6.	Ramesh Dutt Kothiyal	Forest	Forest	9410711664	[signature]
7	मदन सिंह नेगी	व0दा0	-"-	9410550105	[signature]
8	हरी सिंह	व0आर0	-"-	9917648220	[signature]